न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 45/2013

RCMS Sace No. 2013/00154

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 हस्तुबाई पत्नी चौपाराम		1 ग्राम पंचायत दूदनी जरिये सरपंच
2 प्रकाश कुमार पुत्र चौपाराम		2 सुश्री दीपिका पुत्री रतनलाल लौहार निवासी दूदनी जरिये संरक्षक पेपीदेवी पत्नी मोहनलाल लौहार जाति लौहान निवासी दूदनी तहसील बाली जिला पाली
3 पूरण पुत्री चौपाराम		
4 कमलेश कुमार पुत्र चौपाराम जरिये कुदरती वली माता हस्तु बाई पत्नी चौपाराम जातिगण माली निवासीगण दूदनी तहसील बाली जिला पाली		

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री दुर्गाराम बामणिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक 28/11/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 13/2009–2010 में पारित प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 13.02.2013 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 13.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम दूदनी में प्रार्थी संख्या 1 के पति एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता चौपाराम पुत्र रूपाजी जाति माली निवासी दूदनी के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 89 आया हुआ स्थित है, जिसके भूखण्ड संख्या 38 है। उक्त भूखण्ड पर चौपाराम अपने जीवनकाल में काबिज थे एवं उनके पश्चात प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज है। चौपाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त भूखण्ड के चारो तरफ बाड करवाकर अन्दर की तरफ कच्चे कमरे एवं ढालिया का निर्माण करवाया था। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली के समक्ष अपने पुश्तैनी कब्जासुदा प्लॉट का पट्टा बनाने का निवेदन किया, जिस पर विकास अधिकारी द्वारा आनन फानन में बिना किसी ठोस आधारों के एवं बिना कब्जे के अप्रार्थी संख्या 2 के हक में पट्टा

अति० जिला कलेक्टर, पाली

जारी कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी संख्या 1 के पति एवं प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता चौपाराम के नाम जारी पट्टासदा भूमि पर दुबारा पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 2 ने पंचायत के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें प्रश्नगत भूमि पर गत 30 वर्षो से अपना कब्जा होना बताया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं नाबालिग है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा ही नहीं है एवं न ही उक्त भूमि पर किसी प्रकार का मकान निर्माण है। जिस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया गया है, वह विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण हेतु पंचो को मुकर्रर नहीं किया गया एवं न ही मौका देखा गया, मात्र कागजी कार्यवाही कर यह पट्टा जारी यिा गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पट्टा जारी करने के आवेदन पर कोइ दिनांक वगैरा अंकित नहीं है एवं न ही कोई पडौस दर्ज है। उक्त आवेदन पत्र पर जो मिसल कायम की गई है, उसकी आदेशिका दिनांक 20.06.2009, 07.07.2009 व 20.07.2009 पर सरपंच की केवल मात्र मोहर लगी हुई है, जिस पर किसी के हस्ताक्षर ही नहीं है। मिसल आदेशिका दिनांक 20.06.2009 के बाद बन्द करने के बाद पुनः 05.11.2012 को आदेशिका लिखी गई है। इस तरह आदेशिकाओं में त्रुटी है एवं ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेप आमन्त्रित करने के नोटिस दिनांक 05.12.2012 के पीछे किन गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए गए है, स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 को अनुचित लाभ पहुॅचाने की नियत से तमाम मिसल कार्यवाही बाद में तैयार की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दुर्भीसंधि कर प्रार्थी को अपने सुखाधिकार से वंचित रखने के लिये व पंचायत को नुकसान पहुॅचाने की नियत से गांव की किमती भूमि पर उक्त पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टासुदा भूमि पर दुबारा पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुश्तैनी कब्जासुदा भूखण्ड स्थित है। उक्त भूखण्ड का पट्टा नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने संरक्षक की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा नियमानुसार वांछित राशि भी जमा करवाई। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम कर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को नक्शा मौका तैयार करने के आदेश पारित किए। जिसकी पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा मौका तैयार किया गया। इसके पश्चात तीन वार्ड पंचों की कमेटी मनोनीत की गई, जिनके द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। उसके पश्चात एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो दो स्वतन्त्र साक्ष्यों की उपस्थिति में चस्पा किया गया है। निर्धारित अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर स्वतन्त्र गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के पश्चात जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया

अति० जिला कलेक्टर, पाली

है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी द्वारा जो जांच की गई एवं बयान कलमबद्ध किये है, जिसमें गवाहों ने जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा होना स्वीकार किया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी स्वीकार करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रथमतः तो इस बिन्दु को विवेचित किया जाना है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर पूर्व में चौपाराम के नाम से पट्टा जारी हो चुका है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में रेकर्ड का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि चौपाराम पुत्र रूपाजी जाति माली के नाम ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा दिनांक 05.12.1975 को पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे के जो पडौस अंकित किए गए है, उनका मिलान जैर निगरानी पट्टे के पडौस से नहीं होता है। इस प्रकार यह प्रमाणित नहीं होता है कि चौपाराम के नाम से जो पट्टा जारी हुआ है, उसी भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी हुआ हो। अब प्रकरण से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के समक्ष दिनांक 20.06.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने आवासीय भूखण्ड का पट्टा प्रदान कराने का निवेदन किया तथा नियमानुसार मौका नक्शा एवं निरीक्षण शुल्क जमा करवाया। इस पर दिनांक 20.06.2009 को मिसल कायम की गई, किन्तु उक्त आदेशिकाओं पर सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के हस्ताक्षर ही नहीं है। इसके पश्चात दिनांक 05.11.2012 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पट्टा प्रदान कराने का निवेदन किया। इस पर दिनांक 05.11.2012 को पुनः मिसल में कार्यवाही आरम्भ की गई तथा सचिव को नक्शा मौका तैयार करने एवं तीन पंचों को वांछित आराजी के मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया। इसके पश्चात मिसल दिनांक 05.12.2012 को पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमें सचिव द्वारा नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया एंव वार्ड पंचों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर नियम 148 के तहत प्ररूप 22 में एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। उक्त आदेश की पालना में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, वह स्वतन्त्र गवाहों की उपस्थिति में मौके पर चस्पा किया गया। निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 05.01.2013 को अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पुश्तैनी कब्जे के सम्बन्ध में गवाह प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 21.01.2013 को गवाह जैसाराम पुत्र भीमाजी जाति कीर व कुपाराम पुत्र उमाजी जाति कीर निवासी दूदनी द्वारा बयान कलमबद्ध करवाए गए, जिसमें उन्होने प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा होना स्वीकार किया। इसके पश्चात दिनांक 13.02.2013 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी करने के आदेश दिये गए। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाली के समक्ष दिनांक 13.02.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुश्तैनी कब्जासुदा प्लॉट का पट्टा प्रदान कराने का निवेदन

अति० जिला कलेक्टर, पाली

किया, जिस पर विकास अधिकारी द्वारा प्रार्थीया को बी0पी0एल0 श्रेणी में होने के कारण नियमानुसार पट्टा जारी करने के आदेश दिये। इस सम्बन्ध में पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा जो जांच की गई एवं मौका फर्द तैयार की गई, उसमें प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा होना बताया गया है। इसी दिनांक को गवाहों के बयान भी कलमबद्ध किये गए है, जो संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है।

परिणाम स्वरूप निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 13/2009–2010 में पारित प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 13.02.2013 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 13.02.2013 को यथावत रखा जाता है। चूंकि प्रकरण में ग्राम पंचायत से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें यह अंकित किया है कि प्रकरण से सम्बन्धित मिसल ही ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है, बैठक कार्यवाही विवरण एवं पट्टा बुक ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति उचित नहीं है, क्योंकि प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2015 की पालना में इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/2015/657 दिनांक 06.08.2015 के जरिये सम्बन्धित रेकर्ड यथा मिसल, बैठक कार्यवाही विवरण एवं पट्टा बुक सम्बन्धित ग्राम सेवक को व्यक्तिशः सुपुर्द की गई थी, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना राजकीय रेकर्ड में हेराफेरी/गुम होने की श्रेणी में परिलक्षित होता है। अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को आदेश दिये जाते है कि वे इस सम्बन्ध में जांच कर दोषी के विरूद्ध अनुशासनात्मक/कानूनी कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से एक माह के भीतर इस न्यायालय को सूचित करें। निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पाली को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे एवं निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28/11/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली